

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2400

(जिसका उत्तर सोमवार, 15 दिसंबर, 2025/24 अग्रहायण, 1947 (शक) को दिया जाना है)

कर्नाटक को विशेष अनुदान

2400. श्री ई. तुकाराम:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रिसमूह (जीओएम) ने जीएसटी प्रतिपूर्ति उपकर की भावी रूपरेखा के संबंध में अपनी अंतिम सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं और यदि हां, तो प्रस्तावित ढांचे का ब्यौरा क्या है तथा कर्नाटक राज्य पर इसके क्या संभावित प्रभाव होंगे और यदि नहीं, तो इसे अंतिम रूप देने में लगातार हो रहे विलंब के क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार ने पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित 5,495 करोड़ रुपये के विशेष अनुदान और कर्नाटक के लिए 6,000 करोड़ रुपये के राज्य-विशिष्ट अनुदान को स्वीकार कर लिया है और यदि हां, तो अब तक जारी की गई राशि का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या कर्नाटक से आईजीएसटी (एकीकृत माल और सेवा कर) में पाई गई कमी की वसूली को अधिकारियों की समिति की अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत होने तक स्थगित किया जाना था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो शीघ्र वसूली को उचित ठहराने के लिए कौन से नियम या प्रावधान लागू किए गए हैं और इसके परिणामस्वरूप आज की तिथि तक कर्नाटक पर क्या वित्तीय प्रभाव पड़ा है?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री
(श्री पंकज चौधरी)

(क): मंत्रिसमूह (जी.ओ.एम.) ने जीएसटी परिषद को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं। जीएसटी परिषद की दिनांक 3 सितंबर 2025 को हुई 56वीं बैठक में की गई सिफारिशों के अनुसार, पान मसाला, गुटखा, सिगरेट, चबाने वाले तंबाकू उत्पाद जैसे जर्दा, असंसाधित तंबाकू और बीड़ी को छोड़कर सभी वस्तुओं पर जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर दिनांक 22 सितंबर 2025 से लागू कर दिया गया है। उपरोक्त वर्णित तंबाकू उत्पादों के अलावा अन्य वस्तुओं पर जीएसटी और क्षतिपूर्ति उपकर जहाँ लागू हों, की मौजूदा दरें जारी रहेंगी, जब तक कि क्षतिपूर्ति उपकर खाते के अंतर्गत ऋण और ब्याज भुगतान के दायित्वों का पूरी तरह से निपटारा नहीं हो जाता। राज्यवार प्रभावों पर कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं किया गया है।

(ख): (i) पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए राष्ट्रपति को दिनांक 5 दिसंबर, 2019 को प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में विशेष अनुदानों से संबंधित सिफारिशों पर की गई कार्रवाई के संबंध में विवरणात्मक ज्ञापन में कहा गया है कि "आयोग से अनुरोध किया जा सकता है कि वह इस सिफारिश पर पुनर्विचार करे क्योंकि इसमें एक नया सिद्धांत शामिल है"।

(ii) पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा दिनांक 9 नवंबर, 2020 को राष्ट्रपति को प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट में राज्य विशिष्ट अनुदानों से संबंधित की गई सिफारिशों पर की गई कार्रवाई के संबंध में विवरणात्मक ज्ञापन में कहा गया है कि "राज्य सरकारों के पास उपलब्ध संयुक्त संसाधनों और केंद्र सरकार की वित्तीय प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त सिफारिश पर उचित रूप से विचार किया जाएगा।"

(ग): एकीकृत माल और सेवा कर में कमी को पूरा करने के मुद्दे पर जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक में चर्चा की गई थी और यह निर्णय लिया गया था कि वित्तीय वर्ष 2023-24 और वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए संचयी वसूली आधार वर्ष के अनुपात में मार्च 2025 में की जाएगी। इसके बाद, विभिन्न राज्यों ने चिंता जताई कि मार्च 2025 में की जाने वाली ऐसी वसूलियां वित्तीय वर्ष के अंत में नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि इससे राज्यों की वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। यह मुद्दा जीएसटी कार्यान्वयन समिति (जीआईसी) के समक्ष रखा गया था, जिसने दिनांक 27.03.2025 को हुई अपनी बैठक में निर्णय लिया कि आईजीएसटी घाटे की वसूली को स्थगित करने के संबंध में राज्यों के अनुरोध पर विचार किया जाए और वित्तीय वर्ष 2023-24 तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए समेकित वसूली अप्रैल 2025 में की जाए। तदनुसार, जीएसटी परिषद और जीआईसी की स्वीकृतियों के अनुसार अप्रैल 2025 में उक्त वसूली की गई है।
